बीसवीं शताब्दी की सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण

मैड्रिड - नई दिल्ली दस्तावेज

2017

ICOMOS ISC 20C International Scientific Committee on 20th Century Heritage

Approaches to the Conservation of Twentieth - Century Cultural Heritage
Madrid - New Delhi Document

Approaches to the Conservation of Twentieth - Century Cultural Heritage

Madrid - New Delhi Document

2017

© ICOMOS International Scientific Committee on Twentieth Century Heritage

Website: isc20c.icomos.org

Cover image: original artwork created by Maria Gabriela Quin

Graphic Design: Maria Gabriela Quin

ISBN 978-2-918086-63-5

The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) works through its International Scientific Committee on Twentieth-Century Heritage (ISC 20C) to promote the identification, conservation and presentation of twentieth-century heritage places.

ICOMOS is an international conservation non-government organisation of conservation professionals, which acts as UNESCO's adviser on cultural heritage and the World Heritage Convention.

आमुख

बीसवीं शताब्दी के व्यापक आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक विकास ने अभूतपूर्व परिवर्तन किया। दो विश्व युद्ध, उनके के बाद शीत युद्ध, महामंदी, और उपनिवेशवाद, ने बीसवीं शताब्दी में समाज के ताने बाने को बदल के रख दिया।

औद्योगिकीकरण और मशीनीकृत कृषि द्वारा बड़े पैमाने पर शहरीकरण एवं बड़े शहरों के विकास, तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास, सामूहिक संचार एवं परिवहनव्यवस्था के उभरने से, हमारे रहन सहन और कार्यशैली में मौलिक रूप से बहुत बदलाव आया। जिसके कारण प्रायोगिक सामग्री का उपयोग करके नई इमारतों, संरचनाओं और अभूतपूर्व भवनों के निर्माण ने शहरों का रूप ही बदल दिया। लेकिन अपेक्षाकृत, इस उतार चढ़ाव से भरे समय में निर्मित धरोहरों को बहुत कम सूचीबद्ध और संरक्षित किया गया है। जिसके कारण बीसवीं शताब्दी धरोहरों में से कई जोखिम में हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मध्य शताब्दी में आधुनिकता की सराहना बढ़ रही है, फिर भी बीसवीं शताब्दी की विशेषता वाले भवनों, संरचनाओं, सांस्कृतिक परिदृश्य और औद्योगिक स्थलों की श्रृंखला अभी भी जागरूकता और मान्यता की सामान्य कमी से खतरे में हैं। अक्सर वे पुनर्विकास, असंवेदनशील परिवर्तन, या उपेक्षाओं के शिकार रहते हँ ।

इन खतरों से अवगत, 2010 में ICOMOS, बीसवीं शताब्दी विरासत (ISC20C) के सदस्यों ने एक दस्तावेज , 'दृष्टिकोण और सिद्धांतों को स्थापित करना जिन्हें बीसवीं शताब्दी के साइट्स और स्थानों के प्रबंधन और व्याख्या के लिए लागू किया जाना चाहिए, तैयार करना शुरू किया। इस महत्वाकांक्षी कार्य का उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क स्थापित करना था ।

दुनिया के सभी क्षेत्रों के सदस्यों और उनके के व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर एक जीवंत बहस शुरू हुई । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों, बैठकों का आयोजन और व्यापक परामर्श किए गए। इस आधार पर 'बीसवीं सदी के वास्तुशिल्प विरासत, के संरक्षण के लिए दृष्टिकोण' पर अंतिम दस्तावेज , जिसे आम भाषा में 'मैड्रिड दस्तावेज़' कहा जाता है, को पेरिस में 17वीं ICOMOS जनरल असेंबली में प्रस्तुत किया गया। इस दस्तावेज को टिप्पणी और चर्चा हेतु स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में वितरित किया गया। 2011-2014 के बीच इसका अनुवाद रूसी, इतालवी, फिनिश, जर्मन, जापानी, पुर्तगाली, मंदारिन, हिंदी, बास्क और कैटलन

सहित एक दर्जन से अधिक भाषाओं में किया गया । यह एक दस्तावेज़ एक अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन की आवश्यकता और उपयोग का सूचक है ।

विभिन्न प्राप्त टिप्पणियों का अवलोकन तथा विचार करने के पश्चात, फ़्लोरेंस में 18 वीं आईसीओएमओएस (ICOMOS) जनरल असेंबली में चार भाषाओं में एक दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया , लेकिन यह स्पष्ट था कि बीसवीं शताब्दी की अन्य विरासत टाइपोग्राफियों, जैसे सांस्कृतिक परिदृश्य, औद्योगिक स्थलों और शहरी क्षेत्रों, को शामिल करने के लिए एक बड़ा संशोधन - और एक नया शीर्षक आवश्यक था ।

अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति, सांस्कृतिक परिदृश्य (ISCCL), ICOMOS , अंतर्राष्ट्रीय समिति , ऐतिहासिक कसबे और गांव (CIVVIH), ICOMOS , अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी समिति औद्योगिक विरासत संरक्षण (TICCIH) और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति, ऊर्जा, स्थायित्व और जलवायु परिवर्तन (ISCES+CC) ICOMOS के सहयोग से बीसवीं शताब्दी विरासत स्थानों और साइटों को वृस्तित तौर से सफलतापूर्वक शामिल किया है।

बीसवीं सदी के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए दृष्टिकोण (तीसरा संस्करण), दिसम्बर 2017 में दिल्ली में आईसीओएमओएस (ICOMOS) की 19वीं आम सभा में पेश किया जाएगा, जिसमें 2014-17 परामर्श अवधि के दौरान प्राप्त टिप्पणियाँ और इनपुट शामिल होंगे। उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने इस प्रक्रिया में योगदान दिया।

हम उन सभी का प्रोत्साहन करते हैं , जो कि दुनिया की बीसवीं सदी के विरासत स्थानों के प्रबंधन और उत्सव के लिए जिम्मेदार हैं और बीसवीं सदी के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश और विरासत स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मानक के रूप में प्रयोग करते हैं।

शेरडिन बर्क

अध्यक्ष, ICOMOS, ISC20C

20 नवंबर, 2017

ICOMOS ISC 20C

दस्तावेज का उद्देश्य

हमारा, बीसवीं सदी के हेरिटेज स्थानों और स्थलों के प्रबंधन एवं संग्रक्षण का दायित्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीते युग की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने का है ।

बीसवीं सदी की सांस्कृतिक धरोहर, उसके महत्व को ना समझने और उसके रखरखाव की कमी के कारण खतरे में है। हमने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है तथा और भी बहुत कुछ अभी खतरे में है । यह एक जीवित एवं विकासशील धरोहर है । इसका भविष्य की पीढ़ियों के लिए समझना, व्याख्या करना और संरक्षित रखना अति आवश्यक है।

'बीसवीं सदी के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के दृष्टिकोण' से सम्बंधित यह दस्तावेज, सांस्कृतिक धरोहर की इस महत्वपूर्ण अवधि के उचित और सम्मानजनक प्रबंधन की दिशा में एक योगदान के रूप में हैं। मौजूदा धरोहरों के संरक्षण से सम्बंधित दस्तावेजों को मान्यता देते हुए, बीसवीं सदी के संरक्षण के दृष्टिकोण से सम्बंधित यह दस्तावेज, बीसवीं सदी के धरोहरों के संरक्षण में विशेष रूप से शामिल कई मुद्दों की पहचान करता है। इस दस्तावेज में हेरिटेज टाइपोग्राफी की पूरी श्रृंखला, जो आमतौर पर वास्तुकला, संरचनाओं, स्थानीय भाषा और औद्योगिक धरोहरों, ऐतिहासिक परिसरों और उद्यानों, ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य, सांस्कृतिक और पुरातत्व स्थलों सहित सांस्कृतिक परिदृश्य सहित संरक्षण के योग्य होने के रूप में मान्यता प्राप्त है, सम्मलित है ।

यह दस्तावेज हेरिटेज संरक्षण और प्रबंधन प्रक्रियाओं में शामिल सभी लोगों द्वारा उपयोग के लिए है जो बीसवीं शताब्दी हेरिटेज स्थानों और साइटों को प्रभावित कर सकते हैं ।

इस दस्तावेज में स्पष्टीकरण नोट्स की जहां आवश्यकता हैं उन्हें वहीं शामिल किया गया हैं और दस्तावेज़ के अंत में पारिभाषिक शब्दावली दी गयी है ।

सांस्कृतिक महत्व समझने के लिए ज्ञान और समझ का विकास

अनुच्छेद 1: सांस्कृतिक महत्व की पहचान एवं आकलन ।

1.1: स्वीकृत हेरिटेज पहचान और मूल्यांकन मानदंडों, का उपयोग करें।

बीसवीं शताब्दी के सांस्कृतिक धरोहरों का महत्व और मूल्यांकन हेतु पूर्व स्वीकृत हेरिटेज संबंधी मानदंडों का उपयोग करना चाहिए। इस शताब्दी की सांस्कृतिक धरोहर (इसके सभी तत्वों सहित) अपने समय, स्थान और उपयोग का एक भौतिक रिकॉर्ड है।

इसका सांस्कृतिक महत्व इसके भौतिक स्थान, विचार, डिजाइन (उदाहरणतः रूप और स्थानिक संबंध; रंगिक एवं सांस्कृतिक योजनाएं ; निर्माण प्रणाली, तानाबाना , तकनीकी उपकरण, सौंदर्य गुण) पर निर्भर करता है । इसकी उपयोगिता इसके उपयोग , ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक संघों, या रचनात्मक प्रतिभा या इसके अमूर्त मूल्यों में भी हो सकती है।

1.2: व्यक्तिगत इमारतों, सामुहिक संरचनाओं, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य के महत्व की पहचान और आकलन करें।

बीसवीं शताब्दी की धरोहरों को समझने के लिए, उनसे जुड़े सभी तत्वों, संबंधित या जुड़े सामूहिक स्थानों या संबंधित सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शहरी परिदृश्यों की पहचान करना और मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है । जिसमें लोग, पर्यावरण और स्थानों के बीच अंतर-संबंध भी शामिल हैं।

1.3: अंदरूनी, फिटिंग, संबंधित फर्नीचर और कला कार्यों, संग्रह, उपकरण और औद्योगिक मशीनरी के महत्व की पहचान और आकलन करें।

महत्व को समझने के लिए, औद्योगिक स्थलों और सांस्कृतिक परिदृश्य से जुड़े अंदरूनी, फिटिंग और संबंधित फर्नीचर, कला कार्य, संग्रह, और उपकरण और मशीनरी की पहचान और आकलन करना भी आवश्यक है।

1.4: संरचनात्मक निर्माणों, रूपों, निर्माण की तकनीकों और सामग्री की पहचान ।

बीसवीं शताब्दी का महत्व अभिनव रूपों में पाया जा सकता है जैसे संरचनात्मक समाधान, निर्माण सामग्री और तकनीकें । इन विशेषताओं को पहचाना जाना चाहिए और उनके महत्व का आकलन किया जाना चाहिए।

1.5 :विरासत स्थलों के संदर्भ के महत्व की पहचान और उसका मूल्यांकन ।

एक विरासत स्थल या साइट के महत्व के संदर्भ के योगदान को समझने के लिए, इसकी सेटिंग[iii] की पहचान और आकलन किया जाना चाहिए। सेटिंग में न केवल भौतिक या मूर्त वातावरण शामिल है , बल्कि स्थलों और साइटों का, उनके इतिहास, परिस्थितिथिकी इत्यादि से भी सम्बन्ध शामिल हैं। विरासत स्थान एक जटिल प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं जहां संबंध अलग-अलग साइटों या स्थानों की सीमाओं से भी आगे हो सकते हैं ।

1.6 : महत्वपूर्ण योजना अवधारणाओं और बुनियादी ढांचे की पहचान और आकलन ।

शहरी बस्तियों, औद्योगिक स्थलों और ऐतिहासिक शहरी परिदृश्यों के लिए विभिन्न विकास अवधारणाओं, विधियों और विचारों जो प्रत्येक विकास अवधि के लिए प्रासंगिक हैं (जिसमें आधारभूत संरचना जैसे बिजली, पानी और सीवरेज, शामिल है) उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनके महत्व को स्वीकार प्रबंधित और संरक्षित किया जाना चाहिए ।

1.7 : बीसवीं शताब्दी की धरोहरों की सूची का सक्रिय रूप से विकास ।

बीसवीं शताब्दी की विरासत का बहुआयामी टीमों द्वारा पूरी तरह से शोध और अध्ययन किया जाना चाहिए । इनकी पहचान और मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण और सूची का प्रयोग सक्रिय रूप से किया जाना चाहिए। इन सर्वेक्षणों और सूचीयोँ के द्वारा सुरक्षा और संरक्षण उपायों सहित धरोहरों के प्रभाव का मूल्यांकन जिम्मेदार दलों द्वारा विकसित किया जाना चाहिए , जिसमे योजना और विरासत प्राधिकरण की भागीदारी भी होनी चाहिए ।

1.8 : सांस्कृतकि महत्व की स्थापना करने के लिए तुलनात्मक वश्लिेषण का प्रयोग ।

बीसवीं शताब्दी की विरासत के महत्व का आकलन करते समय, तुलनात्मक विरासत स्थलों या साइटों की पहचान की जानी चाहिए । इन तुलनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि सापेक्ष महत्व की स्पष्टता की जाये।

संरक्षण योजना प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन

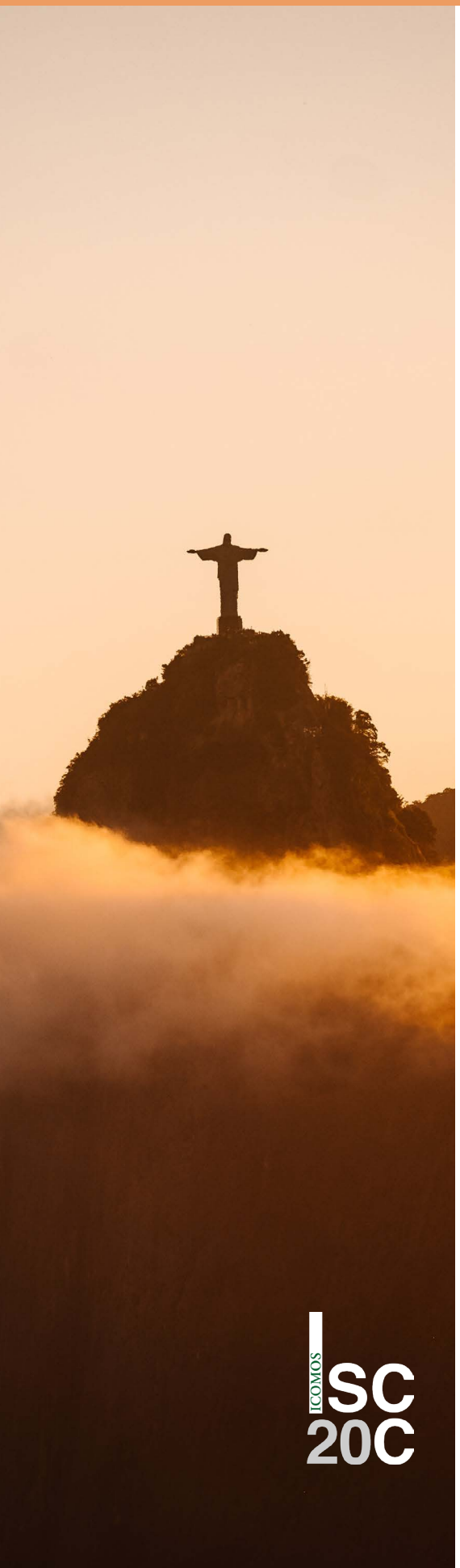

ICOMOS ISC 20C

अनुच्छेद 2: उचित संरक्षण योजना और प्रबंधन पद्धति का प्रयोग ।

2.1: हस्तक्षेप से पहले विरासत के महत्व को समझकर अखंडता रखना ।

बीसवीं शताब्दी के सांस्कृतिक विरासत स्थानों की अखंडता का असंतोषजनक परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचाव करने के लिए किसी स्थान या साइट के इतिहास और महत्व के पर्याप्त अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और विश्लेषण की आवश्यकता है।

बीसवीं शताब्दी की विरासत के सांस्कृतिक महत्व को जानने के लिए यह समझना आवश्यक है कि उस सदी के विभिन्न गुणों, तत्वों और मूल्यों का उस महत्व में कया योगदान है। इस महत्त्व की देखभाल और अखंडता के संरक्षण के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए यह अनिवार्य है। हर स्थान समय के साथ विकसित और परिवर्तित होता है। पुर्ण बदलावों का भी सांस्कृतिक महत्व हो सकता है। इसीलिए विरासत स्थलों या व्यक्तिगत साइटों पर विभिन्न संरक्षण दृष्टिकोण और विधियोँ की आवश्यक हो सकती है।

2.2: प्राथमिक स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता को अधिकतम करें।

बीसवीं सदी की व्यापक प्रगति, तकनीकी प्रगति के कारण संभव हुई हे। इन स्रोतों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी स्थान या साइट के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए ।

कभी मूल डिजाइनर, निर्माता, योजनाकार, ग्राहक या किसी स्थान के निकट जुड़ा समुदाय प्राथमिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। उनकी जानकारी और दृष्टिकोण हमेशा लेना चाहिए । मौखिक इतिहास की जानकारी जहाँ संभव है वहाँ प्राप्त करनी चाहिए। इस जानकारी को सथान के महत्व की समझ पाने मे प्रयोग करना चाहिए, हालांकि रचनाकारों के विचारों को एकीकृत करते समय सावधानी भी रखनी चाहिए। सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि भौतिक स्थान के संबंध में मूल डिजाइन से जुड़े मूल्यों का महत्व क्या है।

2.3: कार्य शुरू करने से पहले एक योजना पद्धति का उपयोग करें जो सांस्कृतिक महत्व का आकलन करे और उसके लिए नीतियां प्रदान करे ।

बीसवीं शताब्दी की विरासत के महत्व का आकलन करने के लिए एक सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त संरक्षण योजना का पालन करना चाहिए। इन नीतियों को विकसित करने के लिए व्यापक ऐतिहासिक अनुसंधान और महत्व का मूल्यांकन करना चाहिए जो उस सांस्कृतिक महत्व की व्याख्या करे और उसे संरक्षित और प्रबंधित रखे । यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास और परिवर्तन के मार्गदर्शन के लिए विशिष्ट संरक्षण नीतियां प्रदान की जा रही है, यह आवश्यक है कि इस तरह के आकलन कार्य शुरू होने से पहले पूरा हो जाएं । एक संरक्षण योजना या प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए। क्षेत्रीय विरासत चार्टर्स और साइट - विशिष्ट संरक्षण घोषणाये भी लाभदायक हो सकती हैं ।[iii]

2.4: स्वीकार्य परिवर्तन की सीमओं का निश्चय ।

प्रत्येक विकास या संरक्षण कार्रवाई के लिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले स्पष्ट नीतियां और दिशानिर्देश स्थापित किए जाने चाहिए जो परिवर्तन की स्वीकार्य सीमाओं को निश्चित करें । संरक्षण योजना या प्रबंधन योजना को विरासत स्थल या साइट के महत्वपूर्ण हिस्सों का वर्णन होना चाहिए । इनके जिन क्षेत्रों में हस्तक्षेप की संभावना हे और प्रभावित करने वाली कमज़ोरियाँ अथ्वा साइट के उचित उपयोग और संरक्षण का उपाय किया जाना चाहिए। इन नीतियों की चर्चा विशिष्ट सिद्धांतों (जैसे वास्तुकला, प्लानिंग, स्ट्रक्चर, इत्यादि) और बीसवीं सदी में उपयोग की जाने वाली तकनीकों पर होनी चाहिए।

2.5: अंतःविषय विशेषज्ञता का प्रयोग ।

बीसवीं सदी के स्थानों के लिए संरक्षण योजना और प्रबंधन करने के लिए एक अंतःविषय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो इनके को सांस्कृतिक महत्व के सभी गुणों और मूल्यों पर विचार करे । आधुनिक संरक्षण तकनीक और भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञों को बीसवीं शताब्दी की विरासत में गैर परंपरागत सामग्रियों और निर्माण विधियों के उपयोग और प्रसार के कारण विषेश प्रकार की जाँच और शोध करने की आवश्यकता हो सकती है । औद्योगिक विरासत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य, और इसी तरह के विचाराधीन विशेषज्ञता के साथ विशेषज्ञों को संरक्षण प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।

2.6 : देखभाल और चल रहे प्रबंधन की लिए योजना।

सभी सांस्कृतिक विरासत स्थलों और साइटों के चल रहे प्रबंधन में नियमित निवारक देखभाल और रख-रखाव के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है। निरंतर और उचित रखरखाव और सामयिक निरीक्षण किसी भी विरासत स्थल या साइट के संरक्षण के लिए आनिवार्य है और उसकी भविष्य में मरम्मत का ख़र्च भी कम कर सकता है। रखरखाव की योजना इस प्रक्रिया में सहायता दे सकती है । सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहरी परिदृश्यों को लगातार विकास की प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने और महत्व को बनाए रखने के लिए प्रबंधन योजनाओं की आवश्यकता होगी।

आपातकालीन स्थिरीकरण कार्य की भी आवश्यकता हो सकती है । जाँच के बाद का काम योग्य और अनुभवी पेशेवरों द्वारा इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि उस स्थल के महत्व पर प्रभाव कम/ नून्स्तम पड़े ।

2.7 : संरक्षण कार्य के लिए जिम्मेदार दलों की पहचान करें।

बीसवीं शताब्दी की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण कार्यों के लिए जिम्मेदार पार्टियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। इनमें मालिकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों, विरासत प्राधिकरणों, समुदायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, स्थानीय सरकारों, शहर नियोजन विभागों, निवासियों इत्यादी को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

2.8 : पुरालेख रिकॉर्ड और दस्तावेज़ीकरण।

बीसवीं सदी के विरासत स्थलों या साइटों में परिवर्तन करते समय सार्वजनिक संग्रह के लिए पूर्ण परिवर्तनों के रिकॉर्ड तैयार करना महत्वपूर्ण है। रिकॉर्डिंग तकनीकों में मैपिंग, फोटोग्राफी, मापे गए चित्र, मौखिक इतिहास, लेजर स्कैनिंग, 3-डी मॉडलिंग और नमूनाकरण, और औद्योगिक विरासत स्थलों पर उपयोग की जाने वाली रिकॉर्डिंग प्रक्रिया परिस्थितियों के आधार पर शामिल की जा सकती है। अभिलेखीय अनुसंधान संरक्षण योजना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मालिकों को अभिलेखागार बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिस से भविष्य में संरक्षण कार्य में लाभ हो ।

प्रत्येक हस्तक्षेप के लिए व्यक्तिगत स्थान या साइट की विशिष्टताओं और अपनाए गए उपायों को उचित रूप से दस्तावेज किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ीकरण में हस्तक्षेप के पहले, उसके दौरान और उसके बाद की रिकॉर्डिंग ज़रूरी है । इस तरह के दस्तावेज एक सुरक्षित स्थान और अद्यतित प्रतिकृति मीडिया में रखा जाना चाहिए। यह स्थान या साइट की प्रस्तुति और व्याख्या में सहाक होगा और इस से उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा । सांस्कृतिक विरासत की जांच में एकत्रित सूचना और अन्य सूची और दस्तावेज इच्छुक व्यक्तियों के लिए सुलभ किये जाने चाहिए।

अनुसंधान, आधुनिक सामग्री और भौतिक योजना

अनुच्छेद 3: बीसवीं शताब्दी की सांस्कृतिक धरोहर के तकनीकी और नियोजन पहलुओं का अनुसंधान ।

3.1 : बीसवीं शताब्दी की अद्वितीय इमारत सामग्री और निर्माण तकनीकों के लिए उपयुक्त विशिष्ट मरम्मत विधियों का अनुसंधान और विकास ।

बीसवीं शताब्दी की निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक पारंपरिक सामग्री और अतीत के तरीकों से अक्सर भिन्न हो सकती है। अद्वितीय प्रकार के निर्माण के लिए उपयुक्त विशिष्ट मरम्मत विधियों का अनुसंधान और विकास करने की आवश्यकता है ।

बीसवीं शताब्दी के धरोहरों की कुछ खास विशेषताएँ , विशेष रूप से सदी के मध्य के बाद बनाई गई साइटें, विशेष चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं । इसके मुख्य कारण नई प्रयोगात्मक सामग्री और निर्माण विधियों के उपयोग, या विशिष्ट व्यावसायिक अनुभव की कमी हो सकते हैं । यदि कारणवश मूल एवं महत्वपूर्ण सामग्री हटाई जानी पड़े तो उनके विस्तृत विवरण रिकॉर्ड किये जाने चाहिए और उसके एक नमूना भी संग्रहित किया जाना चाहिए।

किसी भी हस्तक्षेप से पहले, इन सामग्रियों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए और किसी भी दृश्य या अदृश्य क्षति की भलीभांति पहचान करनी और समझनी चाहिए । कुछ प्रयोगात्मक सामग्रियों का पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में जीवन काल कम हो सकता है इसीलिये इनका सावधानी से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। सामग्रियों की जांच और उनकी गुणवत्ता उपयुक्त रूप से योग्य एवं अनुभवी लोगों द्वारा होनी चाहिए । गुणवत्ता जांचते समय इस बात का ध्यान रहे कि गैर-विनाशकारी तरीकों का उपयोग हो जिससे क्षति पूर्णतः न्यूनतम रहे । बीसवीं सदी की सामग्रियों की उम्र जानने के लिए सावधानीपूर्वक सामग्रियों की जांच की आवश्यकता है।

3.2 : बीसवीं शताब्दी में विकसित नए नियोजन दृष्टिकोणों के लिए उचित प्रतिक्रियाओं का अनुसंधान और विकास ।

बीसवीं सदी ने शहरी जीवन और शहरी डिजाइनों के कई नए और प्रयोगात्मक रूपों के विकास को देखा है। संरक्षण नीतियों और विकास दिशानिर्देशों का उद्देश्य उस समय की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहरी परिदृश्यों के महत्व को बनाए रखने के लिए लिए लक्षित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 4: महत्ता बनाये रखने के लिए नीतियों की जरूरत।

4.1 स्थानों के सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित और बनाए रखने के लिए अनुसंधान द्वारा सूचित संरक्षण नीतियाँ बनाएं और परिवर्तन के प्रबंधन के दौरान निर्णय लेने के लिए नीतियों का उपयोग करें।

सांस्कृतिक महत्ता बनाए रखने के लिए परिवर्तनों का सुचारु प्रबंधन

अनुच्छेद 5: परिवर्तन के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण को अपनाना

5.1: मानव हस्तक्षेप, या पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण, धरोहरों पर परिवर्तन होते या हो सकते हैं, उन परिवर्तनों का सांस्कृतिक महत्व, और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है।

कुछ मामलों में, धरोहर स्थलों या स्थानों को बनाए रखने के लिए परिवर्तन आवश्यक हो सकता है। व्यक्तिगत हस्तक्षेप और संचयी परिवर्तन सांस्कृतिक महत्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जहां परिवर्तन आवश्यक है, उस जगह की अखंडता और प्रामाणिकता पर असर का आकलन और निगरानी की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 6: संवेदनशीलता से परिवर्तन को प्रबंधित करें।

6.1 : परिवर्तन के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण को अपनाना।

परिवर्तन को मैनेज करने के लिए जितना आवश्यक और जितना संभव हो उतना ही करें। कोई भी हस्तक्षेप सतर्कता से और आवश्यकता अनुसार जितना कम से कम हो, किया जाना चाहिए । मरम्मत के केवल सिद्ध तरीके ही अपनाएँ और उन तरीकों से बचें जो ऐतिहासिक धरोहरों को सांस्कृतिक दृष्टि से नुकसान पहुंचा सकते हैं । मरम्मत करते वक़्त, ऐसे साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे धरोहरों को नुकसान ना पहुचे । परिवर्तन उतना ही होना चाहिए जितना जरूरत पड़ने पर उसे वापिस किया जा सके ।

किसी भी सांस्कृतिक धरोहर स्थल या स्थान पर मरम्मत के लिए इस प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना चाहिए जिससे कि उस स्थान की महत्ता बढ़े और उसका सांस्कृतिक महत्व कम न हो। इसके लिए अलग अलग मरम्मत के तरीके उपयोग में लाने चाहिए । में परिवर्तन पर विचार किया जाता है, तो सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने वाले उचित पुन: उपयोग को खोजने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। जब परिवर्तन

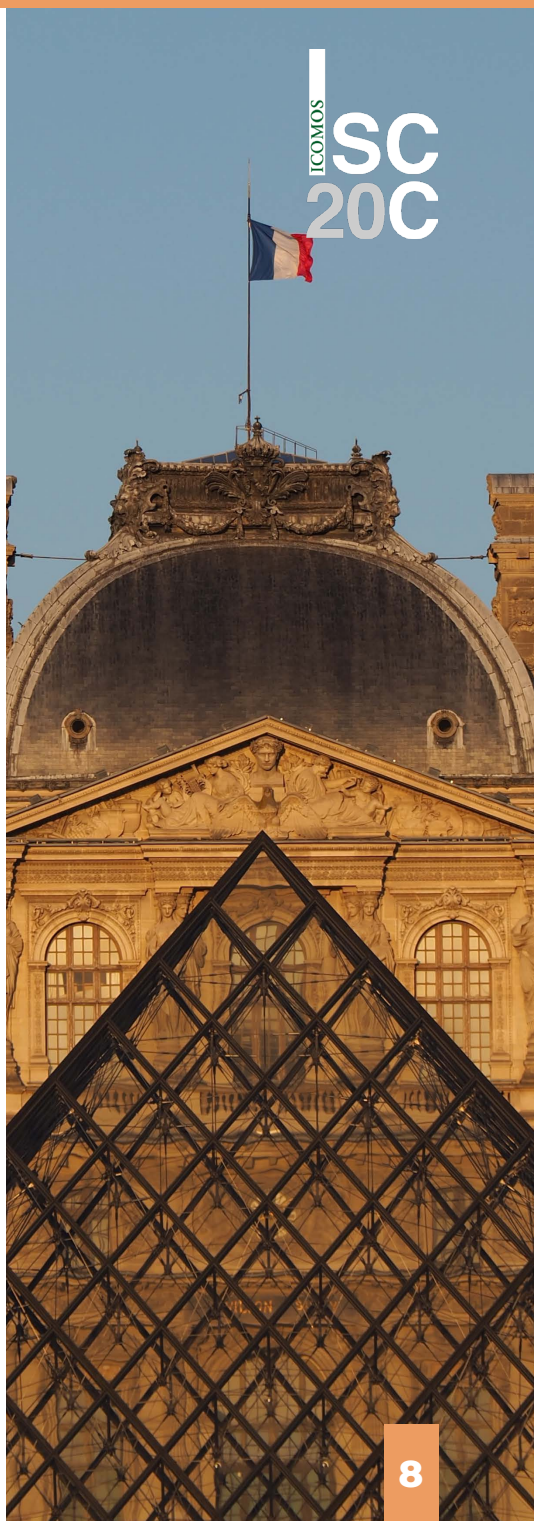

के उपयोग विचाराधीन हों तब यह ध्यान रहे कि एक उपयुक्त पुन: उपयोग चुना जाय जिससे कि सथान का सांस्कृतिक महत्व बना रहे ।

6.2 : किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने या कम करने के उद्देश्य से शुरू होने से पहले संरक्षण नीतियों के खिलाफ प्रस्तावित परिवर्तनों का धरोहरों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करें।

किसी स्थान के सांस्कृतिक महत्व को परिभाषित और समझने की आवश्यकता है, ताकि परिवर्तन के लिए किसी भी प्रस्ताव के प्रतिकूल प्रभाव को कम या टाला जा सके । विभिन्न तत्वों और मूल्यों में परिवर्तन के लिए सहनशीलता हो सकती है, इन प्रस्तावों को लागू करने से पहले मूल्यांकन और समझने की आवश्यकता है ताकि स्थान का सांस्कृतिक महत्व प्रबंधित और संरक्षित रह सके ।

6.3: स्टैण्डर्ड बिल्डिंग और रेगुलेटरी कोड को ध्यान में रखते हुए ,धरोहरों के संरक्षण से सम्बंधित समाधानों को सुनिश्चित करने के लिए लचीले और प्रगतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मानकीकृत कानूनी और भवन संबंधी नियमावली (जैसे उपलब्धता, आवश्यकतायें, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी आवश्यकतायें , अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकतायें, भूकंपीय पुनर्निर्माण, परिदृश्य आवश्यकतायें, यातायात प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता में सुधार के उपायों) का उपयोग सांस्कृतिक महत्व को बचाने के लिए लचीला रूप से अनुकूलित किया जाना चाहिए । प्रासंगिक अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ पूर्ण विश्लेषण और वार्ता का उद्देश्य किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने या कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। प्रत्येक मसौदे को उसकी जरूरियात और गुणवत्ता के आधार पर ही मापना चाहिए ।

अनुच्छेद 7: हस्तक्षेपों और नये परिवर्तनों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण सुनिश्चित करें।

7.1: बदलाव करते समय ,धरोहर स्थलों या साइटओं के सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करने की आवश्यकता है।

कुछ मामलों में, स्थान या साइट की स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक हस्तक्षेप (जैसे किसी भवन या बगीचे के लिए एक नया जोड़, शहरी क्षेत्र में एक नई इनफिल इमारत इत्यादि) की आवश्यकता हो सकती है। सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, नए जोड़ को स्थान या साइट के पैमाने, रचना, अनुपात, संरचना, परिदृश्य, सामग्री, बनावट और रंग का सम्मान करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। परिवर्तनों को नए निरीक्षण के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए लेकिन यह सुनिश्चित हो कि मौजूदा अनुरूप से सामंजस्य बना रहे और कोई प्रतिस्पर्धा की भावना न हो ।

7.2: नए हस्तक्षेप डिजाईन करते समय मौजूदा रूपरेखा, उसका पैमाना , परिदृश्य, सामग्री, रंग, पेटीना और विवरण का आवश्यक तौर से सम्मलित किया जाना ।

पूर्व पौधरोपणों, भवनों और उनके डिजाइन को ध्यान पूर्वक जांचने और व्याख्या करने से उचित डिजाइन समाधान प्रदान करने में सहायता मिल सकती है । लेकिन डिजाइन करने में प्राप्त सुविधा को उनका अनुकरण नहीं समझा जाना चाहिए

अनुच्छेद 8: जब उपयोग महत्व में योगदान देता है,उसकी पहचान और तदानुसार प्रबंधित करना ।

जहां एक कार्यात्मक उपयोग किसी स्थान या साइट के महत्व में योगदान देता है, संरक्षण का उद्देश्य, जहां तक संभव हो, उस उपयोग को बनाए रखने में होना चाहिए । जहां किसी स्थान के संरक्षण के लिए साधन के रूप में, एक नया उपयोग लागू किया जाय , और जहां पिछले उपयोग या कार्य सांस्कृतिक महत्व में योगदान करते हैं, इनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 9: स्थान या साइट की प्रामाणिकता और अखंडता का सम्मान ।

9.1: हस्तक्षेपों को सांस्कृतिक महत्व को बढ़ायें और बनाए रखे ।

पुनर्निर्मित किए जाने के बजाय महत्वपूर्ण तत्वों की मरम्मत या पुनस्थापना की जानी चाहिए । बदलने से बेहतर है महत्वपूर्ण तत्वों को स्थिर करना, संघटित करना और उनकी मरम्मत करना । जहां भी संभव हो बदली गई सामग्री का मिलान किया जाना चाहिए, लेकिन पहचान के लिए नई सामाग्री को चिह्नित या दिनांकित किया जाना चाहिए।

पूरी तरह से खंडित विरासत स्थालों या उनके महत्वपूर्ण तत्वों का पुनर्निर्माण करना संरक्षण की कार्रवाई नहीं है और इसकी सलहा भी नहीं दी जाती है। हालांकि, सीमित पुनर्निर्माण यदि दस्तावेज़ीकरण द्वारा किया गया है तो वे उस सांस्कृतिक विरासत स्थल या साइट की अखंडता को समझने में योगदान दे सकता है।

9.2: उम्र के साथ परिवर्तित महत्वपूर्ण परतों के मूल्य का सम्मान ।

किसी स्थान या साइट का सांस्कृतिक महत्व मुख्य रूप से इसके मूल या महत्वपूर्ण भौतिक विशेषताओं और / या इसके अमूर्त मूल्यों पर आधारित है जो इसकी प्रामाणिकता को निर्धारित करता है। हालांकि मूल विरासत स्थल या साइट या बाद के हस्तक्षेप, परिवर्धन, परिदृश्य तत्व या नए तत्वों का सांस्कृतिक महत्व केवल उनकी उम्र पर निर्भर नहीं करता । बाद में हुए परिवर्तन जिनका सांस्कृतिक महत्व अहम है उन्हें संरक्षण या विकास के निर्णय लेने के दौरान पहचाना जाना चाहिए ।

आयु सभी हस्तक्षेपों और समय के साथ हुए परिवर्तनों के माध्यम से स्पष्ट होनी चाहिए, और उनके पेटीना में स्पष्ट होना चाहिए। यह सिद्धांत बीसवीं शताब्दी में इस्तेमाल की गई अधिकतर सामग्री के लिए महत्वपूर्ण है।

सांस्कृतिक महत्व में योगदान देने वाली सामग्री जैसे फिक्स्चर, फिटिंग, मशीनरी, उपकरण, आर्टवर्क या परिदृश्य के तत्व जहाँ संभव हों वहाँ हमेशा स्थापित रहने चाहिए ।[v]

संरक्षण योजना, प्रक्रियाओं का लागू करना ।

अनुच्छेद 10: पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान दें ।

10.1: पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण के बीच उचित संतुलन प्राप्त करने का प्रयास ध्यान से किया जाना चाहिए ।

बीसवीं सदी की सांस्कृतिक विरासत पर ऊर्जा कुशल बनने का दबाव समय के साथ बढ़ेगा । इन स्थालो पे जितना संभव हो उतना कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए। हालांकि जहां भी संभव हो, सांस्कृतिक महत्व

(कार्य और उपयोग सहित) को ऊर्जा संरक्षण उपायों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए ।

संरक्षण कार्य को पर्यावरणीय स्थिरता के आधुनिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना चाहिए ।[vi] सांस्कृतिक विरासत स्थल या साइट पर हो रहे हस्तक्षेप को टिकने वाले तरीको और उत्पादों के साथ शुरू किया जाना चाहिए जिससे अपने संरक्षण, विकास और चल रहे प्रबंधन का समर्थन हो । एक क्रियात्मक और संतुलित समाधान प्राप्त करने के लिए सभी पार्टियों के साथ परामर्श की आवश्यकता है। हस्तक्षेप प्रबंधन और व्याख्या करने में सभी संभावित विकल्प और इसकी व्यापक सेटिंग भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनाए रखा जाना चाहिए ।

ऊर्जा रेट्रोफिट की योजना बनाने के लिए मौजूदा इमारत के ऊर्जा प्रदर्शन को समझना आवश्यक है। सही तकनीकी विधियों, सिस्टम और सामग्री का अनुसंधान करना चाहिए जो उचित रेट्रोफिट समाधान पहचानने में ज़रूरी हे । जहां मूल सामग्री असफल हो वहां अधिक ऊर्जा कुशल विकल्पों के साथ सामग्री को बदलने या मरम्मत करने का प्रयास करें,ध्यान दें की इससे सांस्कृतिक महत्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े ।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों (जेसे विंड टरबाइन, सोलर पैनलों और जल कैप्चर करने वाले सिस्टम) का प्रभाव मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उने कम से कम किया जाना चाहिए ।

10.2: बीसवीं शताब्दी की विरासत के लिए उपयुक्त ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं का बढ़ावा ।

बीसवीं शताब्दी की विरासत के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों, प्रणालियों, प्रथाओं और अनुसंधानों को विकसित करने में प्रोत्साहना देनी चाहिए ।

बीसवीं शताब्दी की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए संघटित योजना अपनाने वाली शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें । ये पर्यावरणीय स्थिरता और सांस्कृतिक महत्व की ज़रूरतों को संतुलित करने में आवश्यक है।

व्याख्या, संवाद और क्षमता संवर्ध्न

अनुच्छेद 11: व्यापक समुदाय के साथ बीसवीं सदी की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना ।

11.1: सांस्कृतिक महत्व का व्यापक रूप से संवादन ।

प्रमुख दर्शकों और हितधारकों से बीसवीं सदी के विरासत स्थानों और उनके संरक्षण के बारे में बातचीत करें और उनके महतव को समझने में सहायता प्रदान करें ।

11.2: संरक्षण प्रक्रिया की प्रस्तुति और व्याख्या की आवश्यकता ।

बीसवीं सदी के सांस्कृतिक विरासत अनुसंधान और संरक्षण या प्रबंधन योजनाओं को प्रकाशित और वितरित करें । इन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को उपयुक्त व्यवसायों और व्यापक समुदाय के बीच जहां भी संभव हो वहाँ बढ़ावा दें।

11.3: व्याख्या एक महत्वपूर्ण संरक्षण की कार्रवाई ।

बीसवीं शताब्दी के विरासत स्थलों और साइटों की सार्वजनिक प्रशंसा बढ़ाने में उसकी व्याख्या करना एक आवश्यक उपकरण है। यह परिवर्तन को दस्तावेज करने और महत्व समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

11.4: बीसवीं शताब्दी के विरासत संरक्षण के लिए क्षमता और कौशलता बढानें के लिए पेशेवर शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन और प्रोत्साहना ।

कई विषयों में और पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बीसवीं शताब्दी के विरासत के संरक्षण सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए । इन्हें महत्व, तकनीकी और भौतिक चुनौतियों को समझने में और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने सहित इसकी विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करने की भी आवश्यकता है।

शब्दावली

अनुकूलन का मतलब मौजूदा उपयोग या प्रस्तावित नए उपयोग के अनुरूप किसी स्थान या साइट को बदलना है (बुरा चार्टर, 2013)।

किसी स्थान की **विशेषताओं** में उसका भौतिक स्थान, रूप, उसका तानाबाना और उपयोग, उसकी योजनात्मक विधियाँ, डिजाइन (रंग योजनाओं सहित), निर्माण प्रणाली और तकनीकी उपकरण, साथ ही साथ उसके सौंदर्य गुण, शामिल हैं।

प्रामाणिकता एक विरासत स्थान या साइट के सांस्कृतिक महत्व को अपने भौतिक गुणों और अमूर्त मूल्यों के माध्यम से एक सच्चे और विश्वसनीय तरीके से व्यक्त करने की क्षमता कहलाती है। यह सांस्कृतिक विरासत स्थल के प्रकार और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है।

संरक्षण का अर्थ है विरासत स्थल या साइट की देखभाल करने की सभी प्रक्रियाएं ताकि सांस्कृतिक महत्व बनाए रखा जा सके (बुरा चार्टर, 2013)।

संरक्षण प्रबंधन योजना एक दस्तावेज है जिसका उपयोग भविष्य में परिवर्तन सहित किसी स्थान के प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसमें जगह के विरासत का महत्व बाधाओं की पहचान, महत्व के कमज़ोर तत्व और भविष्य में उस महत्व को संरक्षित करने के लिए नीतियों की पहचान करता है। कुछ देशों में संरक्षण योजना शब्द का भी उपयोग किया जाता है, हालांकि कुछ मामलों में सामग्री के दायरे में केवल भौतिक संरक्षण के मुद्दे शामिल हैं। (**प्रबंधन योजना** का अर्थ भी देखें)

सांस्कृतिक परिदृश्य प्रकृति और मानव जाति के संयुक्त कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। येह मानव समाज के में भौतिक बाधाओं और / या उनके प्राकृतिक पर्यावरण और लगातार सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतों (दोनों बाहरी और आंतरिक) की पहचान करता हे। सांस्कृतिक परिदृश्य तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें डिजाइन किया गया है (जैसे एक ऐतिहासिक उद्यान), विकसित (जैसे कृषि परिदृश्य या कस्बों का दृश्य) और सहयोगी (जहां प्राकृतिक परिदृश्य आध्यात्मिक या कलात्मक या सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है)।

सांस्कृतिक मार्ग संचार का कोई भी मार्ग हो सकता है चाहे वह जमीन, पानी या अन्य प्रकार का हो। जो भौतिक रूप से सीमित है और विशिष्ट ऐतिहासिक कार्यक्षमता के साथ पूरी तरह से निर्धारित उद्देश्य का पालन करता हे (ICOMOS चार्टर सांस्कृतिक मार्गों पर, 2008)।

सांस्कृतिक महत्व या महत्व का अर्थ अतीत, वर्तमान या भविष्य की पीढ़ियों के लिए सौंदर्य, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और / या आध्यात्मिक मूल्य है। सांस्कृतिक महत्व विरासत स्थल या साइट के स्वयं गुणों, इसकी सेटिंग, फैब्रिक (ताना बाना), उपयोग, संघ, अर्थ, रिकॉर्ड, संबंधित स्थालों और संबंधित वस्तुओं में शामिल है। विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लिए विरासत स्थानों में कई प्रकार के महत्व हो सकते हैं।

एक विरासत स्थल या साइट के **तत्वों** में इसके लेआउट / योजना, इंटीरियर्स, फिटिंग, संबंधित फर्नीचर और कला कार्य शामिल हो सकते हैं; (सेटिंग और परिदृश्य)।

पर्यावरणीय स्थिरता का अर्थ है प्राकृतिक और मानव द्वारा बनाई गुणवत्ता को बनाए रखना और / या संबंधित कारकों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना।

फैब्रिक (ताना बाना) का मतलब तत्वों, फिक्स्चर, सामग्री और वस्तुओं, प्राकृतिक तत्वों सहित स्थान की सभी भौतिक सामग्री है। फैब्रिक स्थान और दृश्य परिभाषित कर सकता है (बुरा चार्टर, 2013)।

ऐतिहासिक उद्यान का मतलब वास्तुशिल्प और बागवानी तत्वों को शामिल करने वाला एक डिज़ाइन किया गया परिदृश्य है। यह इसके ऐतिहासिक, सौंदर्य और सामाजिक अर्थों के लिए मूल्यवान है।

ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य एक शहरी क्षेत्र है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक मूल्यों और व्यापक शहरी संदर्भ और इसके भौगोलिक एवं विशेषताओं के ऐतिहासिक स्तर के परिणामस्वरूप समझा जाता है। इसमें साइट की स्थलाकृति, भूगर्भ विज्ञान, जल विज्ञान और प्राकृतिक विशेषताओं (ऐतिहासिक और समकालीन),इसकी जमीन के नीचे और ऊपर भूमिकारूप व्यवस्था, इसके खुले स्थान और उद्यान, इसके भूमि उपयोग पैटर्न और स्थानिक संगठन, धारणाएं और द्रिश्यिक संबंध तथा शहरी संरचना के सभी अन्य तत्व भी सम्मलित हैं । इसमें विविधता और पहचान (ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप, 2011 पर यूनेस्को की सिफारिशें) से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथायें और मूल्य, आर्थिक प्रक्रियायें और धारोहारों के अमूर्त आयाम भी शामिल हैं।

औद्योगिक विरासत का मतलब है साइट्स, संरचनाएं, परिसरों, क्षेत्रों और परिदृश्य के साथ संबंधित मशीनरी, वस्तुओं या दस्तावेज जो उत्पादन की पिछली या चल रही औद्योगिक प्रक्रियाओं का प्रमाण प्रदान करते हैं। सामान का निष्कर्षण उनके परिवर्तन और संबंधित ऊर्जा, पानी और परिवहन बुनियादी ढांचे (डबलिन सिद्धांत, 2011)।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अर्थ प्रथाओं, प्रस्तुतियों, अभिव्यक्तियों, ज्ञान, कौशलता - साथ ही उपकरणों, वस्तुओं, कलाकृतियों और सांस्कृतिक रिक्त स्थान से संबंधित है - समुदायों, समूहों और, कुछ मामलों में व्यक्ति, अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त मूल्यों में ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक संघ या रचनात्मक प्रतिभा शामिल हो सकती है।

ईमानदारी (सच्चाई) का मतलब हे विरासत स्थान या साइट की विशेषताओं और मूल्यों की पूर्णता बरकरार रखना। अखंडता की स्थितियों की जांच करने के लिए इसलिए उस स्थान का आकलन करने की आवश्यकता है जहां स्थान या साइट:

ए) के मूल्य को व्यक्त करने के लिए सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं ।

बी) की सुविधाओं और प्रक्रियाओं का पूरा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है जो संपत्ति के महत्व को व्यक्त करें।

सी) विकास और / या उपेक्षा के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित हैं।

व्याख्या करना सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत स्थानों और साइटों को समझने के उद्देश्य से संभावित गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को संदर्भित करता है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, सार्वजनिक व्याख्यान, साइट पर या संबंधित साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक गतिविधियां और ज़ारी व्याख्या प्रक्रिया, प्रशिक्षण और मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं (व्याख्या के लिए ICOMOS चार्टर और सांस्कृतिक विरासत स्थलों का प्रस्तुति, 2008 देखें)।

हस्तक्षेप वेह परिवर्तन या बदलाव है जिसमें स्थान के गुणों के परिवर्तन दोनों मूर्त और अमूर्त हो सकतें हैं।

रखरखाव का मतलब है विरासत स्थल या साइट के फैब्रिक और सेटिंग की निरंतर सुरक्षात्मक देखभाल। इसे मरम्मत से अलग देखा जाना है।

प्रबंधन योजना एक दस्तावेज है जो **संरक्षण योजना** की तरह भविष्य में परिवर्तन सहित किसी भी स्थान के प्रबंधन के लिए ढांचे के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन परिचालन संबंधी मुद्दों सहित सामान्य हो सकता है। प्रबंधन योजनाएं आमतौर पर सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए उपयोग की जाती हैं जहां चल रहे प्रबंधन प्राथमिक संरक्षण कार्रवाई है।

सथान या स्थल इस दस्तावेज़ में उस भौगोलिक दृष्टि से परिभाषित क्षेत्र का वर्णन करते हैं जिसका विरासत या ऐतिहासिक महत्व हैं। इसमें वस्तुओं, रिक्त स्थान और दृष्य, स्मारक, भवन, संरचनाएं, पुरातात्विक स्थलों, ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक मार्ग और औद्योगिक स्थल शामिल हैं। इसमें मूर्त और अमूर्त तत्व हो सकते हैं। (**साइट** का अर्थ भी इससे मिलता है।)

प्रस्तुति एक सांस्कृतिक विरासत स्थल पर व्याख्यात्मक जानकारी, भौतिक पहुंच, और व्याख्यात्मक आधारभूत संरचना की व्यवस्था को दर्शाती है। इसे विभिन्न प्रकार के तकनीकी माध्यमों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है (पर आवश्यकता नहीं) जैसे सूचनात्मक पैनल, संग्रहालय - प्रकार के डिस्प्ले, औपचारिक पदयात्रा पर्यटन, व्याख्यान और निर्देशित पर्यटन, और मल्टीमीडिया अनुप्रयोग और वेबसाइट। (ICOMOS चार्टर सांस्कृतिक विरासत स्थलों की प्रस्तुति, 2008)

पुनर्निर्माण का अर्थ है नई सामग्री के परिचय के माध्यम से प्राप्त पहले स्थल को उसके पूर्व रूप में लौटाना।

मरम्मत में तत्वों को कार्यात्मक स्थिति में लाने के लिए मौजूदा और / या नए फैब्रिक की बहाली या पुनर्निर्माण शामिल हो सकते है।

बहाली का अर्थ है किसी सथान पर समय के साथ हुए बदलावों को हटाकर या मौजूदा तत्वों को फिर से इकट्ठा करते हुए नई सामग्री के न्यूनतम प्रयोग हो ।

रिवर्सिबिलिटी का मतलब है की हस्तक्षेप मूल ऐतिहासिक फैब्रिक में परिवर्तन या परिवर्तन के बिना अनिवार्य रूप से पूर्ववत किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में उलटापन आवश्यक नहीं है।

सेटिंग का मतलब हे निकटतम और विस्तारित वातावरण जो उसके महत्व और विशिष्ट चरित्र का हिस्सा है या उसमें योगदान देता है।(ज़ी'आन घोषणा, 2005)

साइट का इस दस्तावेज़ में उपयोग विरासत महत्व के परिभाषित क्षेत्र के लिए किया गया है। यह जगह का एक उप-समूह है और इसमें स्मारक, पुरातत्व, भवन, संरचनाएं, रिक्त स्थान और उद्यान शामिल हैं। इसमें मूर्त और अमूर्त आयाम भी हो सकते हैं।

एंडनोट

[i] प्रासंगिक आई.सी.ओ.एम.ओ.एस (ICOMOS), यू.एन.ई.एस.सी.ओ (UNESCO) और अन्य प्रमुख संगठनों के दस्तावेज़ों और चार्टर्स में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय चार्टर (वेनिस चार्टर), 1964
- फ्लोरेंस चार्टर - ऐतिहासिक उद्यान, 1981
- वाशिंगटन चार्टर - ऐतिहासिक शहरों और शहरी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए चार्टर, 1987
- इन्ढोवन स्टेटमेंट, डी.ओ.सी.ओ.एम.ओ.एम.ओ (DOCOMOMO),1990
- प्रामाणिकता पर नारा दस्तावेज़,1994 और नारा +20, 2014
- वास्तुकला धरोहरों का संरक्षण और संरचनात्मक बहाली के विश्लेषण के लिए सिद्धांत, 2003
- धरोहर संबंधी संरचनाओं, स्थलों और क्षेत्रों के संरक्षण पर शी'आन (Xi'an) घोषणा ICOMOS, 2005
- कल्चरल रूट्स पर ICOMOS चार्टर, 2008
- सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की व्याख्या और प्रस्तुति पर, ICOMOS चार्टर, 2008
- ऐतिहासिक शहरों, नगरों और कस्बों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए वैलेट्टा सिद्धांत (Valletta Principles), 2011
- औद्योगिक विरासत स्थलों, संरचनाओं, क्षेत्रों और परिदृश्यों के संरक्षण के लिए आईसीओएमओएस / टिकिक सिद्धांत - डबलिन सिद्धांत, 2011
- सांस्कृतिक महत्व, बुर्रा चार्टर, 2013 और संबंधित दिशानिर्देशों के स्थानों के लिए ऑस्ट्रेलिया आईसीओएमओएस चार्टर
- विश्व धरोहर सम्मेलन, यूनेस्को (UNESCO), 2016 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश

[ii] विरासत संरचनाओं, स्थलों और क्षेत्रों की स्थापना संरक्षण पर जीआन (Xi'an) घोषणा ICOMOS 2005

[iii] उदाहरणतः, टेक्सटो डी मेक्सिको (Texto de Mexico) 2011 और मॉस्को (MOSCO) घोषणा, 2006

[iv] कुछ मामलों में, बीसवीं सदी के निर्मित स्थलों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में परंपरागत सामग्रियों की तुलना में जीवन अवधि कम होती है । संरक्षण कार्यों की कमी और उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त मरम्मत विधियों के ज्ञान का अर्थ यह हो सकता है कि उन्हें पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में अधिक कठोर हस्तक्षेपों की आवश्यकता है और उन्हें भविष्य में अतिरिक्त हस्तक्षेप की भी आवश्यकता हो सकती है।

[v] उनका निष्कासन अस्वीकार्य है जब तक कि यह उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने का एकमात्र साधन न हो। उन्हें जब और जहाँ परिस्थितियाँ हितकारी हों, वापस लौटाया जाना चाहिए।

[vi] संयुक्त राष्ट्र का नया शहरी एजेंडा, 2017

[vii] अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला संघ (UIA) वास्तुकला शिक्षा आयोग रीफ्लेशन समूह।

चित्र

Page 1: Guggenheim Museum New York (1959), Frank Lloyd Wright. Photo: © Joe Dudeck on Unsplash

Page 5: Christ the Redeemer (1931), Paul Landowski. Photo: © Andrea Leopardi on Unsplash

Page 8: Louvre Pyramid (1989), I. M. Pei. Photo: © Rafael Garcin on Unsplash

Page 12: Kaedi Regional Hospital (1992), Fabrizio Carola. Photo: © Alexis Doucet, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

The design of the document was done by Maria Gabriela Quin, master student at Brandenburg University of Technology in Cottbus (BTU).

इस दस्तावेज का हिंदी अनुवाद, प्रतीति जोशी, विद्यार्थी, मास्टर्स डिग्री, ब्रेन्डन्बर्ग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बी.टी.यू (BTU), कोट्टबस, जर्मनी, द्वारा किया गया है।

यह कार्य प्रोफेसर डॉ लियो श्मिट और कैटलन विलियम्स (पीएचडी उम्मीदवार), के नेतृत्व में विश्व धरोहर अध्ययन और विरासत संरक्षण और साइट प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स कार्यक्रम के छात्रों के लिए एक अध्ययन परियोजना का हिस्सा था। बी.टी.यू का यह कार्यक्रम दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करता है, और अकेला यही कार्यक्रम एक दर्जन से भी अधिक भाषित देशों से आये छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है । इसीलिए इस दस्तावेज़ को यथासंभव व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए यह एक अद्वितीय स्थिति थी । हालांकि, इस प्रकार के सभी अनुवादों के साथ, कुछ मुद्दे उभरे हैं जिनमें लक्षित भाषाओं में प्रत्यक्ष अनुवाद की कमी थी । अनुवादकों ने उन शब्दों का चयन किया है जिन्हें वे सबसे उपयुक्त समझते थे, लेकिन यह दस्तावेज व्यापक विरासत समुदाय से टिप्पणियों और सुझावों के लिए पुर्ण रूप से खुला है।

ICOMOS ISC 20C

To learn more about the work of the ISC20C or how to join as a member, visit isc20c.icomos.org